

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त समस्याओं का एक अध्ययन

¹डॉ० श्रीमती छाया श्रीवास्तव

²अरुण कुमार विश्वकर्मा

¹प्राचार्या, श्री रामकृष्णा कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन सतना (म०प्र०)

²शोध छात्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०)

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

शोध कोई भी हो वह तभी चरितार्थ होता है जब वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का समीक्षात्मक अध्ययन किया है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान लागू करने का उद्देश्य था की देश के सभी 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक स्तर के अनेकों उद्देश्यों को लेकर सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। इस योजना के सभी उद्देश्य लागू तो कर दिये गए थे। परन्तु समय बितने के साथ यह योजना अपने उद्देश्यों से भटकती हुई नजर आने लगी। शोधकर्ता ने इस योजना में आने वाली समस्याओं का समीक्षात्मक अध्ययन किया है। शोधकर्ता ने अपने शोध के माध्यम से योजना की समस्याओं की समीक्षा किया है समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष योजना के सही से क्रियान्वयन में आने वाली अनेक बाधाओं का वर्णन करता है जिसमें विद्यार्थियों के नामांकन की समस्या, उपस्थिति की समस्या, समवेशी शैक्षिक वातावरण की समस्या, शिक्षकों में दायित्व बोध की समस्या, विद्यार्थियों में भाषा की समस्या, शिक्षकों के अभाव की समस्या एवं शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त दिये जाने वाले अन्य विभागों के काम की समस्या आदि शामिल हैं।

प्रस्तुत शोध निष्कर्ष के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान में आने वाली समस्याओं से जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराकर समाधान के लिए योजन निर्माण में उनकी सहायता किया जा सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्याओं को समझने एवं आवश्यक योजना निर्माण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न विद्यालयों के प्रशासकों/प्रधानाध्यापकों को अवगत कराया जा सकता है। प्रशासकों /प्रधानाध्यापकों से सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना का निर्माण किया जा सकता है और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। प्राप्त निष्कर्ष के माध्यम से शिक्षक एवं समाज के पढ़े-लिखे और समझदार लोगो के द्वारा समाज के सभी अभिभावकों को जागरूक किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। समाज के सभी अभिभावक अपने-अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं परन्तु जागरूकता की कमी के

कारण शिक्षा के मार्ग में आने वाली छोटी-छोटी परंतु आवश्यक तथ्यों को ध्यान न देने से उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होती है।

मुख्य शब्द— नामांकन, उपस्थिति, समावेशी शैक्षिक वातावरण, प्रतिशत इत्यादि।

Introduction

सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित अवधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा हमें संविधान संशोधन द्वारा छह से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश की 11 लाख गांव के 19 करोड़ 2 लाख 16 हजार बच्चों के शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गांवों में जहां भी स्कूल सुविधा नहीं है वहां नए स्कूल खोलने और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाए जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत ऐसे स्कूल जहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है वहां अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान करें एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर एकात्मिक सहायता संगठन को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खास जोर है। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।

समस्या के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :- आज स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से सभी असंतुष्ट हैं। जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को यह कष्ट है कि बच्चों की अपनी संस्कृति की समझ नहीं पड़ रही है। जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहां फीस बहुत है और वहां पैसे की संस्कृति चलती है जिसको झेलना शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए कष्टकारी। बच्चे शिक्षक का हृदय से सम्मान करना नहीं सीखते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं वहां बहुदा शिक्षक ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। कई जगह देखा जाता है कि 10 की जगह 5 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं या एक शिक्षक को दो-तीन कक्षाओं को संभालना पड़ता है ऐसे में वह पाठ्यक्रम के साथ अन्याय कैसे कर पाएंगे? पहले भाषा और गणित पर बहुत जोर दिया जाता था। पहाड़े रटाये जाते थे। जुबानी हिसाब-किताब के गुण सिखाए जाते थे। शिक्षक की भूमिका प्रमुख थी। सुलेख और श्रुति लेखन (इमला) की भी परीक्षा होती थी। घर पर भी तख्ती या कापी पर सुलेख का अभ्यास किया जाता था। आज भाषा की शुद्धता पर या भाषा के लालित्य की बात तो कोई नहीं करता। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सिरे से गायब है इंग्लिश प्रचलन में है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से भटक गया है। छात्र पढ़ाई में मेहनत नहीं करना चाहता है, छात्रों के माता-पिता एवं अभिभावक

अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करना चाहते हैं। सभी को लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं परंतु कोई भी अपने काम की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा एसएसए को लागू करने से प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता का विकास नहीं हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए विभिन्न उद्देश्य का क्रियान्वयन धरातल स्तर पर जब तक नहीं किया जाता तब तक शिक्षा की स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है।

सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के बाद 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास धरातल पर अपने लक्ष्य से भटकते नजर आ रहे हैं। सत्रारंभ से ही घर-घर जाकर नामांकन करने के अभियान के साथ ही प्रोत्साहन रैलियां भी निकाली जा रही हैं। इसके बावजूद बाल श्रमिकों की बड़ी संख्या दुकानों व अन्य स्थानों पर पेट की भूख शांत करने के लिए भटकती नजर आ रही है। सर्व शिक्षा अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने शिक्षा प्राप्त करने को मूल अधिकार में शामिल कर दिया है। 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक-बालिका को शत-प्रतिशत नामांकित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें भविष्य में सक्षम बनाने का प्रावधान है। नामांकन कार्य पूर्ण करने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा समिति व विकासखंड स्तर पर भी जनसहभागिता के साथ ही ब्लॉक शिक्षा समितियों का गठन किया गया है सत्रारंभ होते ही स्कूल चलो अभियान कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए जिला व विकास खंड स्तरीय बैठकें करके योजना निर्माण करने का दम प्रशासनिक अमले द्वारा भरा जा रहा है। प्रत्येक शिक्षक को अपने विद्यालय के सीमित क्षेत्र में घर-घर जाकर नामांकन कार्य करने का फरमान सुनाया गया है। 30 जुलाई तक विभिन्न प्रयासों के द्वारा अंतिम रूप से नामांकन शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाने की योजना है। जुलाई माह का आधा समय बीत जाने के बाद परिषदीय विद्यालयों में नामांकन में उपस्थिति का आलम यह होता है कि पूर्व के सत्र में नामांकित छात्र की आधी संख्या भी विद्यालयों में नजर नहीं आती है। जलपान की दुकानों व अन्य स्थानों पर अनेक बाल श्रमिक पेट की भूख शांत करने की विवशता में सर्व शिक्षा अभियान की असलियत बयां करते दिखते हैं। हालांकि इस बाबत समाज विभिन्न वर्गों द्वारा अध्यापकों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों से बातचीत में प्रभावी तथ्य उभरकर सामने आ रहा है। देश के प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक तैनात है। ऐसे विद्यालय हैं जहां 2 शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में घर-घर जाकर संपर्क कर नामांकन कराने तथा उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य पूर्ण होना कल्पना मात्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यद्यपि सरकार पका पकाया भोजन, निशुल्क पुस्तक व छात्रवृत्ति आदि प्रोत्साहन दिलाने की बात करती है, किंतु छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन के कारण परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने के बाद लगभग 30 फीसद से अधिक बच्चे जो निजी विद्यालयों की तरफ चले जाते हैं ऐसे में परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरी कर रहे बच्चों को विद्यालयों से जुड़ना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन – सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के

चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य –

शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

- 1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की नामांकन संख्या का अध्ययन करना ।
- 2- बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति की समस्या का अध्ययन करना ।
- 3- शहरी प्राथमिक विद्यालयों एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करना ।

शोध अध्ययन की परिकल्पना – शोध अध्ययन में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पना बनाई गई हैं—

- 1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की नामांकन संख्या में कोई सार्थक नहीं है।
- 2- बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 3- शहरी प्राथमिक विद्यालयों एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या— जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है।

न्यादर्शन (Sampling) – जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यादर्शन (sampling) कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श (Sample) कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन के आधार पर आकड़ों को लिया गया है। इस शोध में प्रयागराज जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 110 शिक्षकों व 110 शिक्षिकाओं को न्यादर्श के रूप में चुना गया है।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक विद्यालयों से सम्बंधित समस्याओं के लिए स्वनिर्मित प्रश्नमाला का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पनावार व्याख्या और विश्लेषण

परिकल्पना 1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की नामांकन संख्या में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की नामांकन संख्याओं का विश्लेषण:— प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त प्रश्नावली में छात्रों की नामांकन संख्या से संबंधित 6 प्रश्न रखे गए थे। उन प्रश्नों पर प्राप्त शिक्षकों की क्रियाओं की आवृत्तियों का परीक्षण किया गया है जिसके आधार पर परिकल्पना संख्या 1 को स्वीकृत और अस्वीकृत किया गया है।

तालिका 1— नामांकन संख्या संबंधित प्रश्नों के प्रति शिक्षकों की अनुक्रिया (आवृत्ति) का विवरण:

क्रमांक	समूह	संख्या	नामांकन की समस्या से सहमत	नामांकन की समस्या से असहमत
1.	शहरी शिक्षक	110	33	77
2.	ग्रामीण शिक्षक	110	54	56

तालिका संख्या 1 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के नामांकन संख्याओं में आने वाली समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 110 शहरी शिक्षकों में से 33 शिक्षकों ने यह माना है कि शहरी क्षेत्र में नामांकन में समस्या आती है जबकि 77 शिक्षकों का यह मानना है कि नामांकन में कोई समस्या नहीं आती। इसी प्रकार 110 ग्रामीण शिक्षकों में से 54 शिक्षकों ने यह माना है कि नामांकन संख्या में समस्या आती है जबकि 56 शिक्षकों का मानना है कि नामांकन संख्या में कोई समस्या नहीं आती है। अतः शहरी छात्र और ग्रामीण छात्र के नामांकन संख्या में सार्थक अंतर हैं। इसलिए परिकल्पना संख्या 1 अस्वीकार किया जाता है, तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 2- बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति की समस्या में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति की समस्या का विश्लेषण — प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त प्रश्नावली में विद्यार्थी उपस्थिति की समस्या से संबंधित 6 प्रश्न रखे गए थे। उन प्रश्नों पर प्राप्त शिक्षकों की अनुक्रियाओं की आवृत्तियों का परीक्षण किया गया है जिसके आधार पर परिकल्पना संख्या 2 को स्वीकृत और अस्वीकृत किया गया है।

तालिका 2 बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति की समस्या संबंधित प्रश्नों के प्रति शिक्षकों की अनुक्रिया (आवृत्ति) का विवरण:

क्रमांक	समूह	उपस्थिति की समस्या से सहमत शिक्षक	उपस्थिति की समस्या से असहमत शिक्षक
---------	------	-----------------------------------	------------------------------------

1.	बालक विद्यार्थी	113	107
2.	बालिका विद्यार्थी	156	64

तालिका संख्या 2 में बालक विद्यार्थी एवं बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति में आने वाली समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 220 अध्यापकों में से 113 शिक्षकों ने यह माना है कि बालक विद्यार्थी की उपस्थिति में समस्या आती है जबकि 107 शिक्षकों का यह मानना है कि बालक विद्यार्थी की उपस्थिति में कोई समस्या नहीं आती। इसी प्रकार 220 शिक्षकों में से 156 शिक्षकों ने यह माना है कि बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति में समस्या आती है जबकि 64 शिक्षकों का मानना है कि बालिका विद्यार्थी की उपस्थिति में कोई समस्या नहीं आती है। अंतः यह कहा जा सकता है कि बालक और बालिका विद्यार्थी के उपस्थिति में अंतर है। इसलिए परिकल्पना संख्या 2 को अस्वीकार किया जाता है, तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 3- शहरी प्राथमिक विद्यालयों एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शहरी प्राथमिक विद्यालयों एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक वातावरण का विश्लेषण:— प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त प्रश्नावली में प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शैक्षिक वातावरण से संबंधित 5 प्रश्न रखे गए थे। उन प्रश्नों पर प्राप्त शिक्षकों की क्रियाओं की आवृत्तियों का परीक्षण किया गया है जिसके आधार पर परिकल्पना संख्या 3 को स्वीकृत और अस्वीकृत किया गया है।

तालिका 3 समावेशी शैक्षिक वातावरण संबंधित प्रश्नों के प्रति शिक्षकों की अनुक्रिया (आवृत्ति) का विवरण:

क्रमांक	समूह	संख्या	समावेशी शैक्षिक वातावरण से सहमत	समावेशी शैक्षिक वातावरण से असहमत
1.	शहरी शिक्षक	110	82	28
2.	ग्रामीण शिक्षक	110	76	34

तालिका संख्या 3 समावेशी शैक्षिक वातावरण से संबंधित प्रश्नों के प्रति शिक्षकों से प्राप्त तालिका संख्या 3 में शहरी प्राथमिक विद्यालय एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के समावेशी शैक्षिक वातावरण में आने वाली समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 110 शहरी शिक्षकों में से 82 शिक्षक समावेशी शैक्षिक वातावरण से सहमत हैं जबकि 28 शिक्षक समावेशी शैक्षिक वातावरण से असहमत हैं। इसी प्रकार 110 ग्रामीण शिक्षकों में से 76 शिक्षक समावेशी शैक्षिक वातावरण से सहमत हैं जबकि 34 शिक्षक समावेशी शैक्षिक वातावरण से असहमत हैं। अतः शहरी और ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के समावेशी शैक्षिक वातावरण में पर्याप्त अंतर है। इसलिए परिकल्पना संख्या 3 को अस्वीकार किया जाता है, तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष:— प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्ष सर्व शिक्षा अभियान की कुछ कमियों को भी दर्शाता है जैसे की प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त विद्यालय के प्रत्येक काम को देखना पड़ता है। विद्यालय के अतिरिक्त कार्य के अलावा दूसरे विभागों जैसे— चुनाव,

जनगणना एवं बोर्ड परीक्षा सम्पन्न करना आदि भी करना पड़ता है। शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त सभी कार्य पहले करना होता है फिर बचे हुए समय में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इन अतिरिक्त कार्य को करने की वजह से शिक्षक मानसिक व शारीरिक रूप से थक जाते हैं जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतिरिक्त कार्य करने की वजह से शिक्षक छात्रों को कम समय दे पाते हैं जिससे विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होता है जो की विद्यार्थियों को विद्यालय में अनुपस्थित रहने का कारण भी बनाता है। शिक्षकों को अन्य कार्य में लगे रहने की वजह से जो छात्र विद्यालय आते भी वे पढ़ाई को छोड़कर खेलने में लग जाते हैं या असमय ही विद्यालय से घर भाग जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तो है ही और उस पर भी शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त एवं अन्य विभागों का काम करना पड़ता है जो की विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षकों को अन्य कार्य भी लगे रहने से शिक्षण कार्य बाधित होता है जिससे समाज में यह संदेश फैलता है की कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ता नहीं है जो की सर्व शिक्षा अभियान की समलता में बाधा उत्पन्न कराते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शर्मा, आर०ए० (2008) : भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।
2. भटनागर, डॉ० ए०बी० (2008) : अधिगम एवं शिक्षण, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. अग्रवाल, डॉ० नीता (2008) : बाल विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
4. नागर, डॉ० बीनू एवं राजपूत, डॉ० आशा (2010) : बाल विकास आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
5. जायसवाल, सीताराम (2012) : व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
6. श्रीवास्तव, डी०एन० एवं पाठक, के०पी० (2012) : बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, महेन्द्र नाथ एवं कुमार सतीश (2014) : बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
8. श्रीवास्तव, डॉ० डी०एन० (2020) : अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
9. गुप्ता, प्रो० एस०पी० एवं गुप्ता, डॉ० अलका, (2013) : सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
10. राय, पारस नाथ (2008) : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
11. सिंह, अरुण कुमार (2017) : मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस।